या0 से0 1343 (एस0एस0)05

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम0एम0 धिल्डियाल

याचिकाकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता श्री एन0एस0 नेगी, विपक्षी सं0 1 की ओर से विद्वान् स्थायी अधिवक्ता उत्तरॉचल शासन, विपक्षी सं0 2 की ओर से विद्वान् स्थायी अधिवक्ता उ0प्र0 सरकार, विपक्षी सं0 3 की ओर से श्री सुधीर सिंह, एड0, विपक्षी संख्या 4 व 5 की ओर से श्री डी0एस0 पाटनी, एड0 तथा विपक्षी संख्या 6 व 7 की ओर से श्रीमती अंजति भार्गव, स्थायी अधिवक्ता भारत सरकार को सुना गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह याचिका इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की गई है कि विपक्षी गण को आदेषित किया जाए कि प्रतिपक्षीगण याचिकाकर्ताओं को पर्वतीय संवर्ग में संयोजित समझें और वरिष्ठता सूची में उन्हें यथास्थान अनुसूचित करें और तद्नुसार समस्त परिणामी लाभ सुलभ करायों।

बहस के दौरान पक्षकारों द्वारा यह सहमति प्रकट की गयी कि इस याचिका का निस्तारण याचिका के अंगीकार करने के स्तर पर ही कर दिया जाए।

प्रतिपक्षी के विद्वान् अधिवक्ताओं ने न्यायालय को अवगत कराया कि प्रतिपक्षीगण याचिकाकर्ताओं के विकल्पों पर अपना अंतिम निर्णय छः सप्ताह के अंतर्गत ले लेंगे और जब तक याचिकाकर्ताओं के विकल्पों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, पक्षकार मामले में यथास्थिति बनाये रखेंगे।

तद्नुसार, याचिका का इसी स्तर पर अंतिम निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री एम0एम0 धिल्डियाल)

14.09.2005:
न0च0मे0: